रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23082024-256585
CG-DL-E-23082024-256585

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 216] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 23, 2024/भाद्र 1, 1946
No. 216] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 23, 2024/BHADRA 1, 1946

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजिनक सूचना

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2024

सं. 18/2024

विषयः अनुपालन बोझ को कम करने और व्यापार करने में सुगमता को बढ़ान के लिए प्रक्रिया पुस्तक, 2023 के अध्याय 4 के अंतर्गत पैरा 4.49(छ) में संशोधन के संबंध में।

फा. सं. 01/94/180/043/एएम25/पीसी–4—समय–समय पर यथा सं” ोधित विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदे” ाक विदेश व्यापार एतद्द्वारा प्रक्रिया पुस्तक, 2023 के अध्याय 4 में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करते हैंः

क्र. सं.	पैरा सं.	मौजूदा प्रावधान	संशोधित प्रावधान
1	4.49 छ (i)	प्राधिकार पत्र धारक मानदंडों के अनुसार पूर्ण आयतित मात्रा की खपत को दर्शाने वाले दस्तावेजों को प्रस्तुत करेगा। यदि निर्यात	प्राधिकार पत्र धारक मानदंडों के अनुसार पूर्ण आयतित मात्रा की खपत को दर्शाने वाले दस्तावेजों को प्रस्तुत करेगा। यदि निर्यात

		दायित्व पूरा करने में कमी है और अप्रयुक्त आयातित मात्रा प्राधिकार पत्र धारक के पास है तो प्राधिकारपत्र धारक घरेलू बाजार में अपंजीकृत स्रोतो से ऐसी आयातित सामग्री के विचलन के कारण भारत को कोई नुकसान या हानि न हो, के लिए एक शपथ पत्र–सह–क्षतिपूर्ति बाण्ड के साथ अप्रयुक्त शुल्क मुक्त आयातित सामग्री के विध्वंस संबंधी चार्टर्ड एकाउंटेंट प्रमाणपत्र के साथ स्व–घोषणा प्रस्तुत करेगा, जिसे भविष्य में किसी भी प्राधिकरण द्वारा पता लगाया जा सके या प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 4.42 के संदर्भ में **उसी आपूर्तिकर्ता** को इसका पुनः निर्यात करने का प्रमाण प्रस्तुत करेगा।	दायित्व पूरा करने में कमी है और अप्रयुक्त आयातित मात्रा प्राधिकारपत्र धारक के पास है तो प्राधिकारपत्र धारक घरेलू बाजार में अपंजीकृत स्रोतो से ऐसी आयातित सामग्री के विचलन के कारण भारत को कोई नुकसान या हानि न हो, के लिए एक शपथ पत्र–सह–क्षतिपूर्ति बाण्ड के साथ अप्रयुक्त शुल्क मुक्त आयातित सामग्री के विध्वंस संबंधी चार्टर्ड एकाउंटेंट प्रमाणपत्र के साथ स्व–घोषणा प्रस्तुत करेगा, जिसे भविष्य में किसी भी प्राधिकरण द्वारा पता लगाया जा सके या प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 4.42 के संदर्भ में इसका पुनः निर्यात करने का प्रमाण प्रस्तुत करेगा।
2	4.49 छ (ii)	औषधियों की अप्रयुक्त मात्रा का उपयोग करके निर्यात दायित्व अवधि के समाप्त होने के बाद मुक्त पोत लदान बिलों/समान प्राधिकार पत्र के अधीन किए गए निर्यात को भी उपर्युक्त पैरा (i) मे, उल्लिखित विध्वंस प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के एवज में स्वीकार किया जाएगा बशर्ते निर्यात किए गए औषध के सही–सही विवरण और तकनीकी विशिष्टता अग्रिम प्राधिकार पत्र में वर्णित निर्यात मद के समान हों। तथापि, प्राधिकार पत्र धारक अग्रिम प्राधिकार पत्र के तहत आयातित अप्रयुक्त मात्रा पर सीमा शुल्क का भुगतान करेगा। निर्यात दायित्व अवधि से बाहर किए गए निर्यात के लिए ही विध्वंस प्रमाण पत्र से छूट पर विचार किया जाएगा, एवं लागू शुल्क और ब्याज की देयता से छूट पर विचार नहीं किया जाएगा।	औषधियों की अप्रयुक्त मात्रा का उपयोग करके निर्यात दायित्व अवधि के समाप्त होने के बाद **किसी भी पोत लदान बिलों**/समान प्राधिकार पत्र के अधीन किए गए निर्यात को भी उपर्युक्त पैरा (i) मे, उल्लिखित विध्वंस प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के एवज में स्वीकार किया जाएगा बशर्ते निर्यात किए गए औषध के सही–सही विवरण और तकनीकी विशिष्टता अग्रिम प्राधिकार पत्र में वर्णित निर्यातमद के समान हों। तथापि, प्राधिकार पत्र धारक अग्रिम प्राधिकारपत्र के तहत आयातित अप्रयुक्त मात्रा पर सीमा शुल्क का भुगतान करेगा। ऐसे निर्यात के लिए ही विध्वंस प्रमाणपत्र से छूट पर विचार किया जाएगा, एवं लागू शुल्क और ब्याज की देयता से छूट पर विचार नहीं किया जाएगा।

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 22nd August, 2024

No. 18/2024

Subject: Amendments of para 4.49(g) under Chapter 4 of the Handbook of Procedures, 2023, to reduce Compliance Burden and enhance Ease of doing Business-reg.

F. No. 01/94/180/043/AM25/PC-4— In exercise of powers conferred under Paragraph 1.03 and 2.04 of the Foreign Trade Policy, 2023, as amended from time to time, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments in Chapter 4 of the Handbook of Procedures, 2023 with immediate effect:

S. No.	Para No.	Existing Provision	Revised Provision
1	4.49 g (i)	The Authorisation holder shall submit documents showing consumption of full imported quantity as per norms. In case, there is shortfall in fulfilment of Export Obligation and unutilized imported quantity remains with the authorisation holder, the Authorisation holder shall submit a self declaration along with the Charted Accountant's certificate regarding destruction of the unutilized duty free imported material accompanied by an affidavit-cum-indemnity bond indemnifying the Government for any harm or loss occurring due to diversion of such imported material from unregistered sources into domestic market that may be detected in future by any authority, or proof of re-export of the same **to the same supplier** in terms of Para 4.42 of HBP.	The Authorisation holder shall submit documents showing consumption of full imported quantity as per norms. In case, there is shortfall in fulfilment of Export Obligation and unutilized imported quantity remains with the authorisation holder, the Authorisation holder shall submit a self declaration along with the Charted Accountant's certificate regarding destruction of the unutilized duty free imported material accompanied by an affidavit-cum-indemnity bond indemnifying the Government for any harm or loss occurring due to diversion of such imported material from unregistered sources into domestic market that may be detected in future by any authority, or proof of re-export of the same in terms of Para 4.42 of HBP.
2	4.49 g (ii)	Exports made under free shipping bills/under same authorisation after expiry of Export Obligation period using unutilized quantity of drugs shall also be accepted in-lieu of submission of destruction certificate as stated in para (i) above, provided the exact description and technical characteristics of the drug exported matches with that of export item described in the Advance Authorisation. However, the Authorisation holder shall pay customs duty with applicable interest to the Custom Authority on unutilized quantity imported under Advance Authorisation. The exports made outside Export Obligation period shall only be considered for waiver of destruction certificate and not for waiver of liability of applicable duties and interest.	Exports made under **any shipping bills /**under the same authorisation after expiry of Export Obligation period using unutilized quantity of drugs shall also be accepted in-lieu of submission of destruction certificate as stated in para (i) above, provided the exact description and technical characteristics of the drug exported matches with that of export item described in the Advance Authorisation. However, the Authorisation holder shall pay customs duty with applicable interest to the Custom Authority on unutilized quantity imported under Advance Authorisation. Such exports shall only be considered for waiver of destruction certificate and not for waiver of liability of applicable duties and interest.

Effect of the Public Notice: Para 4.49 (g) (i) and Para 4.49 (g) (ii) of Chapter 4 of the Handbook of Procedures 2023, have been amended by inclusion of all types of Shipping Bills in lieu of Destruction Certificate and simplified provision for re-export of un-utilized drugs removing the need to re-export to the same supplier, for ease of doing business and reduction of compliance burden.

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade
Ex-officio Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2024.08.23 15:10:19 +05'30'